झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–09 / 2023–1863 व०प०, राँची, दिनांक–16/5/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–83400

E-mail के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर upload करने हेतु

विषय :– **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–157 दिनांक–19.02.2024 एवं पत्रांक–407 दिनांक–02.05.2024 से प्राप्त स्टेज–I का अनुपालन– प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/5/2024
(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–09 / 2023–1863 व०प०, राँची, दिनांक–16/5/24

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/2024
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–09 / 2023–1863 व०प०, राँची, दिनांक–16/5/24

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, NHAI Complex,कान्ड्रा, पोस्ट–भितिया,थाना–गोविन्दपुर,धनबाद-828109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/2024
विशेष कार्य पदाधिकारी।

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

112

02 MAY 2024

पत्रांक :– 407 राँची, दिनांक :– 02/5/2024

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : वन विभागीय पत्रांक 812 दिनांक 07.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर कुल दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 587 दिनांक 04.04.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 702 दिनांक 24.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पृच्छाऐ	निराकरण
1	कार्यानुमति दिए जाने के पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेश की कंडिका–11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने का प्रस्ताव एवं प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 587 दिनांक 04.04.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 702 दिनांक 24.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2023 को निर्गत को दिशा–निर्देश की कंडिका –11 (1) के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विषयक परियोजना हेतु कार्यानुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा किया गया है।
2	स्टेज–I की शर्तो का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन। प्रधान सचिव कोषांग वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सं0 2111 03 MAY 2024 झारखण्ड, राँची	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/Road/146250/2021/1177 दिनांक 13.06..2023 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल **99.7862 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु **कुल 24 शर्तो** पर स्टेज–I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शर्तो का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 19.02.2024 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। जिसमें शर्त सं0 **A-11** एवं **B-6** का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से अपेक्षित था **शर्त सं0 A-11** ***"The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)."*** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

111

		The compliance report को ***e-portal*** ***(https://parivesh.nic.in/)*** अपलोड कर दिया गया है। जिसे इस स्तर से भी website पर अपलोड किया जा रहा है। **शर्त सं0 B-6 (पिलरिंग कार्य)** का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। **इस प्रकार** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत स्टेज–I में लगाई गयी सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा बचनबद्धता दी गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुऐ अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर **कुल 99.7862 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु **अंतिम स्वीकृति एवं एक वर्ष के लिए कार्यानुमति** प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

02/5/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

2.5.24